तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज धारासिंह बनाम संगीता	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/01/25	तकुलाय फरीकैन उप०, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र O11 R12 व 14 तथा 151 CPC खारिज किया जाता है, जिसका विस्तृत निर्णय मूल वाद मे लिखा गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 RT Act व दिनांक 13.05.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज की जाती है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। (दुर्गा प्रसाद मीना)	
08/01/25	वकील प्रार्थी ने निर्णय सुनाये जाने पश्चात प्रा.पत्र O41 R5(1) CPC पेश किया, नकल अप्रार्थी वकील को दी गई। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रा.पत्र दिनांक 13/01/25 को पेश हो।	
13/01/25	अभिभाषक संघ द्वारा कार्य का ~~बहिष्कार~~ स्थगन रखा गया है। अतः प्रावधान अनुसार दिनांक 21/01/25 को पेश हो।	
21/01/25	तकुलाय फरीकैन उप०, प्रार्थी के प्रा.पत्र O41 R5(1) CPC पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा०पत्र O41 R5(1) CPC सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। (दुर्गा प्रसाद मीना) सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) नगर (डीग) राज०	

न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :–18/2024 तारीख दायरा:–13.05.2024

धारासिंह दत्तक पुत्र भगतसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम उदपुरी तहसील नगर जिला डीग।

––––प्रार्थी

बनाम

1. मुस0 संगीता विहारन पुत्री अज्ञात तथाकथित पत्नि भगतसिंह, जाति मैहता निवासी अज्ञात स्थान जिला रौहताश बिहार हाल निवास ग्राम उदपुरी तहसील नगर जिला डीग।
2. तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार नगर तहसील नगर जिला डीग।
3. नायब तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार जालूकी, उप तहसील जालूकी तहसील नगर जिला डीग।

––––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गोयल प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा अप्रार्थी संख्या 01

निर्णय दिनांक:–08.01.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 183/0.19, 189/0.51, 194/0.53, 195/0.15, 196/0.18, 199/0.45, 218/0.58, 238/0.11, 239/0.11 बाके ग्राम उदपुरी तहसील नगर मे स्थित है, जिसके सबूत मे नकल जमांबदी हाल सवंत 2074–77 पेश की है। जिसमे मृतक भगतसिंह का हिस्सा ही विवादित है। भगतसिंह आजीवन अविवाहित रहा है, उसने सायल धारासिंह को अल्पायु मे ही रोबरू गांव, बस्ती, बुजुर्गान, रिश्तेदारान की उपस्थिति मे गौद ले लिया तथा धारासिंह ने भी भगतसिंह को बतौर पिता मान–सम्मान दिया, इसी कडी मे भगत सिंह ने अपनी समस्त चल, अचल सम्पत्ति जिसमे यह विवादित आराजी भी शामील है। अप्रार्थीया का विवादित आराजी से किसी भी किस्म का कोई वास्ता ना रहा है, और ना है, बल्कि सत्यता यह है कि मौके पर आज भी विवादित आराजी पर प्रार्थी की काबिज काश्त है। गांव बस्ती के कुछ चन्द व्यक्ति एंव सायल के परिवारजन ने एक सोची समझी चाल के तहत बिहार प्रान्त की एक महिला अप्रार्थीया को मृतक भगतसिंह की विधवा बताते हुये विवादित रकबे को सायल से हडपने की नियत से कपोल कल्पित कहानी रचते हुये दिनांक 29.04.2024 को गैरसायला ने स्पष्ट धमकी दी कि मै जबरन ताकत के बल पर विवादित रकबा पर कब्जा करूंगी और व अपने नाम कराकर यथाशीघ्र रहन वय मुतंकिल कर दूँगी। यदि गैरसायला अपने इरादे मे कामयाब हुई तो सायल की सख्त हकतलफी होगी, नुकसान अजीम होगा, जिसकी पूर्ति किसी भी नकद धनराशि से ना हो सकेगी और सायल अपने अधिकारो से वंचित हो जावेगा।

अत ताफैसला मुकदमा गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह विवादित आराज खसरा नं0 183/0.19, 189/0.51, 194/0.53, 195/0.15, 196/0.18, 199/0.45, 218/0.58, 238/0.11, 239/0.11 बाके ग्राम उदपुरी तहसील नगर पर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
नगर (डीग) राज0

सायल कब्जे काश्त मे किसी प्रकार हस्तक्षेप ना करे, राजस्व रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखें, रहन वय मुतंकिल ना करे व कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे हकूक सायल जायल हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या को जरिये अतंरिम अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया गया कि आ0ख0नं0 183/0.19, 189/0.51, 194/0.53, 195/0.15, 196/0.18, 199/0.45, 218/0.58, 238/0.11, 239/0.11 बाके ग्राम उदपुरी तहसील नगर पर रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थी सख्या 2, 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया एंव अप्रार्थी संख्या 01 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर इस आशय का जवाब प्रार्थना पेश किया है कि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीया संगीता को तंग व परेशान करने व अप्रार्थीया के मृतक पति भगतसिंह के हिस्से की भूमि को हडपने की नियत से पेश किया है। प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीया को जानबुझकर तथाकथित पत्नि का शब्द का प्रयोग किया जबकि अप्रार्थीया के साथ मृतक भगतसिंह ने अपने जीवनकाल मे ही विवाह किया था तथा अप्रार्थीया संगीता ने अपने पति के अंतिम समय तक उसकी देखरेख व सेवा की साथ रही तथा भगतसिंह की मृत्यु के बाद पति उसकी चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज रहकर ग्राम उदपुरी तहसील नगर मे रह रही है। भगतसिंह के परिवार का पहचान संख्या 4788361686 मे भगतसिंह के परिवार का विवरण इस प्रकार है कि रतनी मॉ, बसन्ता पिता, अप्रार्थीया संगीता देवी पत्नि, भगतसिंह स्वयं मृतक, खुशी कुमारी पुत्री है, जिसके प्रमाण मे अप्रार्थीया संगीता का आधारकार्ड (नं0 3692 6027 6715), जनआधारकार्ड पेश किया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से पेश नही किया है क्योकिं प्रार्थी को कभी भी मृतक भगतसिंह के द्वारा दत्तक ग्रहण नही किया गया है, प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात (शैक्षणिक व पहचान पत्र आदि) मे प्रार्थी के पिता का नाम आज भी ओमप्रकाश है। प्रार्थी एंव प्रार्थी के पिता ने एक सोची समझी चाल के तहत भगतसिंह के देहांत के बाद उसकी भूमि को हडपने की नियत से मौखिक असत्य तथ्य कहा है क्योकि ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नही किया गया है।

जबकि अप्रार्थीया मृतक भगतसिंह की पत्नि इसके समर्थन मे सरपंच ग्राम पंचायत को भी तथा अन्य ग्रामवासियान को भी इस तथ्य के बाबत पूरी तरह इल्म है कि अप्रार्थीया संगीता देवी मृतक भगतसिंह पुत्र बसन्ता की विवाहिता पत्नि है। इस हेतु ग्रामवासियान के शपथ पत्र पेश है। मृतक भगतसिंह ने अपने जीवनकाल मे कभी भी अपने बडे भाई ओमप्रकाश के पुत्र धारासिंह को गोद नही लिया था और ना ही ओमप्रकाश ने कभी अपने पुत्र धारासिंह को अपने भाई मृतक भगतसिंह को गोद दिया था, क्योकि ओमप्रकाश के तीन संतान है, जिनमे से 2 लडकिया एंव 1 लडका प्रार्थी धारासिंह है तो वह अपने इकलौते पुत्र को किसी को गोद नही दे सकता, ऐसा प्राकृतिक स्वभाव है। तथा प्रार्थी द्वारा गोदनामा से संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश नही किया है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावे तथा खर्चा मुकदमा प्रार्थी से अप्रार्थीया को दिलाया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि मृतक भगतसिंह ने प्रार्थी धारासिंह को अल्पायु मे ही रोबरू गांव, बस्ती, बुजुर्गान, रिश्तेदारान की उपस्थिति मे गौद ले

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

लिया तथा धारासिंह ने भी भगतसिंह को बतौर पिता मान–सम्मान दिया, इसी कडी मे भगत सिंह ने अपनी समस्त चल, अचल सम्पत्ति जिसमे यह विवादित आराजी भी शामील है। अप्रार्थीया का विवादित आराजी से किसी भी किस्म का कोई वास्ता ना रहा है, और ना है, बल्कि सत्यता यह है कि मौके पर आज भी विवादित आराजी पर प्रार्थी की काबिज काश्त है। तथा प्रार्थी अधिवक्ता ने गांव के 2 लोगो के शपथ पत्र इस बाबत पेश किये है कि भगत सिह की लाबल्द बिला औरत फौत होने के कारण भगतसिंह ने अपने भाई ओमप्रकाश के पुत्र धारासिंह को हमेशा पुत्रवत स्नेह दिया तथा अपने जीवनकाल मे ही अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति धारासिंह को दे दी थी। अप्रार्थीया ने दिनांक 29.04.2024 को धमकी दी कि मै जबरन ताकत के बल पर विवादित रकबा पर कब्जा करूंगी और व अपने नाम कराकर यथाशीघ्र रहन वय मुतंकिल कर दूंगी। यदि अप्रार्थीया अपने इरादे मे कामयाब हुई तो सायल की सख्त हकतलफी होगी, नुकसान अजीम होगा, जिसकी पूर्ति किसी भी नकद धनराशि से ना हो सकेगी और सायल अपने अधिकारो से वंचित हो जावेगा। ऐसी स्थिति मे जारी शुदा अतंरीम अस्थाई निषेधाज्ञा की पुष्टि वाद के अंतिम निस्तारण तक की जावे। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे निम्न न्यायिक नजीरे पेश की है–

1. डी.एन.जे. 2020 (3) पेज नं0 579 बाबूलाल बगै0 बनाम पारा देवी बगै0 राजस्थान उच्च न्यायालय।
2. आर.आर.टी. 2023 (2) 1303सुभराज सिंह बनाम वीरेन्द्र सिंह माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

अप्रार्थीया के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि प्रार्थी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये कि वह कौन व्यक्ति है– यथा पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि। प्रार्थी मृतक भगतसिंह के बडे भाई ओमप्रकाश का लडका है, ओर ओमप्रकाश के एक मात्र लडका प्रार्थी ही है तो ऐसी स्थिति मे ओमप्रकाश अपने एकलौते बेटे को कैसे अपने भाई मृतक भगतसिंह को गौद दे देता। और न ही प्रार्थी ने कोई लिखित गौदनामा या अन्य कोई साक्ष्य पेश नही किये बल्कि अप्रार्थीया ने ग्राम पंचायत उदपुरी के सरपंच का प्रमाण पत्र इस बाबत पेश किया है कि वह मृतक भगतसिंह की विवाहिता पत्नि है तथाभगतसिंह के परिवार का पहचान संख्या 4788361686 मे भगतसिंह के परिवार का विवरण इस प्रकार है कि रतनी मॉ, बसन्ता पिता, अप्रार्थीया संगीता देवी पत्नि, भगतसिंह स्वयं मृतक, खुशी कुमारी पुत्री है, जिसके प्रमाण मे अप्रार्थीया संगीता का आधारकार्ड (नं0 3692 6027 6715), जनआधारकार्ड पेश किया है। इसके अतिरिक्त गांव के 6 व्यक्तियो के शपथ पत्र पेश किये है। प्रार्थी एंव प्रार्थी के पिता ने एक सोची समझी चाल के तहत भगतसिंह के देहांत के बाद उसकी भूमि को हडपने की नियत से झुठे एंव मनगढंत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया एंव पत्रावलीका समग्र अध्ययन/अवलोकन किया एंव प्रस्तुत न्यायिक नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया। प्रार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र मे मुख्यतः 3 बिन्दुओं पर निर्णय किया जाना है–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण
2. अपूर्णनिय क्षति
3. सुविधा का संतुलन

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

जिनका बिन्दुवार निर्णय निम्नानुसार है।

1. प्रथमा दृष्टया प्रकरण :– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। आराजी खसरा नं0 183/0.19, 189/0.51, 194/0.53, 195/0.15, 196/0.18, 199/0.45, 218/0.58, 238/0.11, 239/0.11 बाके ग्राम उदपुरी तहसील नगर मृतक भगतसिंह के नाम सहखातेदारी के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि भगतसिंह ने विवाह नही किया, बल्कि आजीवन अविवाहित रहा है तथा भगतसिंह द्वारा प्रार्थी धारासिंह को अल्पायू मे ही सामाजिक रिति रिवाजो से गोद ले लिया था तथा भगतसिंह की चल, अचल सम्पत्ति प्रार्थी को हमेशा–हमेशा के लिये दे दी गई थी। दौराने बहस भी प्रार्थी के वकील द्वारा कथन किया कि धारासिंह को बचपन मे ही भगतसिंह द्वारा गोद ले लिया गया था। गोदनामा/वसियत का रजिस्ट्रर्ड होना आवश्यक नही है यह मौखिक भी हो सकता है। भगतसिंह की मृत्यू पर सामाजिक रिति रिवाज अनुसार गंगा स्नान् व ब्रहाम्भोज आदि धारासिंह के द्वारा ही किया गया है। अप्रार्थीया भगतसिंह की पत्नि नही है और न ही उसके द्वारा विवाह का कोई दस्तावेज पेश किया गया है, ग्राम पंचायत सरपंच को प्रमाण पत्र बनाने का कोई अधिकार नही है। विधिक उत्तराधिकारी कानूनन डी.जे. कोर्ट से तय होते है। प्रार्थीया खुशी कुमारी जिसे अपनी पुत्री बताती है। जिसे यह बिहार से साथ लेकर आई थी और यदि खुशी कुमारी भगतसिंह की पुत्री है तो उसे आदेश 1 नियम 10 से पक्षकार बन सकती थी। मूल वाद घोषणा खातेदारी का है जो साक्ष्य से तय होना है।

अप्रार्थीया के वकील द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी कौन है तथा भगतसिंह की सम्पत्ति से उसका क्या संबंध है ऐसा कोई दस्तावेज यथा शैक्षणिक रिकॉर्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि पत्रावली पर पेश नही है, बल्कि वास्तविकता यह है कि धारासिंह भगतसिंह के बडे भाई का लडका है। प्रार्थीया भगतसिंह की विवाहिता है इस बाबत प्रार्थीया द्वारा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है साथ ही गांव के लोगो द्वारा शपथ पत्र प्रार्थीया के पक्ष मे प्रस्तुत किये गये है। धारासिंह ओमप्रकाश का एकमात्र पुत्र है। एकलौते पुत्र को कानूनन गोद नही दिया जा सकता, न ही प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर गोदनामा बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत होना नही पाया गया, जिससे यह प्रमाणित हो की भगतसिंह द्वारा प्रार्थी को गोद लिया हो या दत्तक पुत्र माना हो। जहा तक शपथ पत्र का प्रशन है शपथ पत्र प्रार्थी व अप्रार्थीया दोनो की ओर से ही पेश किये गये है, जिनका परिक्षण मूल वाद मे जिरह के दौरान ही स्पष्ट हो पायेगा, जबकि अप्रार्थीया ने मृतक भगतसिंह की विवाहित पत्नि होने के समर्थन मे सरपंच ग्राम पंचायत उदपुरी का प्रमाण पत्र दिनांक 12.07.2024 एंव अपना जनआधार कार्ड जिसमे परिवार का पहचान संख्या 4788361686 मे भगतसिंह के परिवार का विवरण दर्ज है जिसमे रतनी माँ, बसन्ता पिता, अप्रार्थीया संगीता देवी पत्नि, भगतसिंह स्वयं मृतक, खुशी कुमारी पुत्री है, तथा अप्रार्थीया संगीता का आधारकार्ड (नं0 3692 6027 6715) पेश किया है। जिसमे भी पति के रूप मे भगतसिंह तथा निवास उदपुरी भटपुरा दर्ज है। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज भगतसिंह के जिवित रहते हुये ही

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

प्रार्थीया के पक्ष मे जारी किये गये है क्योकिं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जनआधार कार्ड मे भगतसिंह का भी नाम दर्ज है तथा उक्त परिवार की मुखिया के रूप मे रतनी का विवरण है। अत प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित न होने के कारण यह बिंदु प्रार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

2. अपूर्णनिय क्षतिः– नकल जमाबंदी संवत 2074–77 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी का अवलोन करने पर विवादित आराजी जो भगतसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मृतक भगतसिंह के वारिसान का बिंदु मूल वाद मे सम्पूर्ण साक्ष्य व सुनवाई करके निर्धारित किया जावेगा। वर्तमान मे विवादित आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण कोई अपूर्णनिय क्षति प्रार्थी को फिलहाल उत्पन्न होने का कोई कारण विदित नही है। अतः यह बिंदु भी प्रार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

3. सुविधा का संतुलनः–विवादित आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड नही होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी को फिलहाल उत्पन्न होने का कोई कारण विदित नही होने से यह बिंदु भी प्रार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

:: आदेश ::

अत प्रार्थी का प्रार्थना अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा दिनांक 13.05.2024 को जारी अतंरीम अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

8/1/25

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०